कार्यालय प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक बेरला (छ.ग.)

(मेंटर संस्था उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग (छ0ग0) 491 001)

दूरभाष क्रमांक – 0788–2323548, फैक्स क्रमांक – 0788–2323548

क्रमांक / शापोबे / स्था. / 2018–19 / 37 / दुर्ग, दिनांक 09.01.2019

/ / सीधी भर्ती हेतु प्रेस विज्ञापन / /

शासकीय पॉलीटेकनिक बेरला, जिला–बेमेतरा में तृतीय (लिपिकीय एवं अलिपिकीय) तथा चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के स्वीकृत रिक्त पदो को भरने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से जो कि, छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी हो, से छ.ग. शासन (तकनीकी शिक्षा) सेवा भर्ती नियमों के अन्तर्गत, निम्नांकित शर्तो के तहत निर्धारित प्रारूप में दिनांक 11.02.2019 को शाम 5.30 बजे तक केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि के पश्चात एवं डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन का प्रारूप स्थानीय समाचार पत्रों के सांथ **www.cgdteraipur.cgstate.gov.in** एवं संस्था के वेवबसाईट **www.polydurg.ac.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

01.पदों का विवरण :–

क्र	पदनाम	वेतन / वेतन मैट्रिक स्तर (7th Pay)	श्रेणी	सीधी भर्ती के संवर्गवार रिक्त पद							अभ्युक्ति
				कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	भूपूसै	विक.	योग	
01	सहायक ग्रेड–3	रू.19500 (लेबल 04)	तृतीय	01	अनारक्षित	01	–	–	–	01	
					अनु. जाति	–	–	–	–	–	
					अनुजनजाति	–	–	–	–	–	
					अ.पि.वर्ग	–	–	–	–	–	
					योग	(01)				(01)	
02	स्टेनो टायपिस्ट	रू.19500 (लेबल 04)	तृतीय	01	अनारक्षित	01	–	–	–	01	
					अनु. जाति	–	–	–	–	–	
					अनुजनजाति	–	–	–	–	–	
					अ.पि.वर्ग	–	–	–	–	–	
					योग	(01)				(01)	
03	तकनीकी सहायक	रू.28700 (लेबल 07)	तृतीय	01	अनारक्षित	01	–	–	–	01	कर्मशाला (मशीनिष्ट)
					अनु. जाति	–	–	–	–	–	
					अनुजनजाति	–	–	–	–	–	
					अ.पि.वर्ग	–	–	–	–	–	
					योग	(01)				(01)	
04	प्रयोगशाला तकनीशियन	रू.28700 (लेबल 07)	तृतीय	03	अनारक्षित	01	–	–	–	01	यांत्रिकी
						01				01	विद्युत
					अनु. जाति	01	–	–	–	01	सिविल
					अनुजनजाति	–	–	–	–	–	
					अ.पि.वर्ग	–	–	–	–	–	
					योग	(03)				(03)	
05	मेट्रन	रू.25300 (लेबल 06)	तृतीय	01	अनारक्षित	–	01	–	–	01	महिला के लिए आरक्षित है
					अनु. जाति	–	–	–	–	–	
					अनुजनजाति	–	–	–	–	–	
					अ.पि.वर्ग	–	–	–	–	–	
					योग		(01)			(01)	
06	कुशल सहायक (विद्युतकार)	रू.19500 (लेबल 04)	तृतीय	01	अनारक्षित	–	–	–	–	–	इलेक्ट्रिशियन / वायरमेन
					अनु.जाति	01	–	–	–	01	
					अनुजनजाति	–	–	–	–	–	
					अ.पि.वर्ग	–	–	–	–	–	
					योग	(01)				(01)	

07	कुशल परिचारक (विद्युतकार)	रू.19500 (लेबल 04)	तृतीय	03	अनारक्षित	01	–	–	–	01	विद्युत, (इलेक्ट्रिशियन/वायरमेन)
	कुशल परिचारक (सर्वेयर/मेशन)				अनारक्षित	01				01	सर्वेयर/मेशन
	कुशल परिचारक (कारपेंटर)				अनु.जाति	01	–	–	–	01	यांत्रिकी(कारपेंटर)
					अनु. जनजाति	–	–	–	–	–	
					अ.पि.वर्ग	–	–	–	–	–	
					योग	(03)				(03)	
08	मानचित्रकार (सिविल)	रू.35400 (लेबल 08)	तृतीय	01	अनारक्षित	01	–	–	–	01	
					अनु.जाति	–	–	–	–	–	
					अनु. जनजाति	–	–	–	–	–	
					अ.पि.वर्ग	–	–	–	–	–	
					योग	(01)				(01)	
09	प्लंबर फीटर	रू.19500 (लेबल 04)	तृतीय	01	अनारक्षित	01	–	–	–	01	
					अनु.जाति	–	–	–	–	–	
					अनुजनजाति	–	–	–	–	–	
					अ.पि.वर्ग	–	–	–	–	–	
					योग	(01)				(01)	
10	मृत्य	रू.15600 (लेबल 01)	चतुर्थ	01	अनारक्षित	–	–	–	–	–	
					अनु.जाति	01	–	–	–	01	
					अनुजनजाति	–	–	–	–	–	
					अ.पि.वर्ग	–	–	–	–	–	
					योग	(01)				(01)	
	कुल रिक्त पदों का योग					(14)				(14)	

02. पदवार शैक्षणिक अर्हता :–

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता
01	सहायक ग्रेड–3	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10 +2 परीक्षा उत्तीर्ण । अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के सां मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण । (2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। (3) कम्प्युटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (key)डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)
02	स्टेनो टायपिस्ट	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10 +2 परीक्षा उत्तीर्ण । अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के सां मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण । (2) हिन्दी शीघ्रलेखन में कम से कम 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कम्प्युटर मे हिन्दी टायपिंग का 5000 की (key)डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)
03	तकनीकी सहायक	तकनीकी – छ.ग.की किसी मान्यता प्राप्त संस्था इंजीनियरिंग की यांत्रिकी ब्रांच में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) या समकक्ष पत्रोपाधि । या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से मशीनिष्ट व्यवसायिक ट्रेड में सक्षमता प्रमाण पत्र के सांथ संबंधित ट्रेड में 05 वर्ष का अनुभव ।
04	प्रयोगशाला तकनीशियन (यांत्रिकी)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग की यांत्रिकी ब्रांच में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) या समकक्ष पत्रोपाधि ।
	प्रयोगशाला तकनीशियन (सिविल)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग की सिविल ब्रांच में पत्रोपाधि (डिप्लोमा)या समकक्ष पत्रोपाधि ।
	प्रयोगशाला तकनीशियन (विद्युत)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग की विद्युत ब्रांच में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) या समकक्ष पत्रोपाधि।

05	मेट्रन	छ.ग. के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष उपाधि भंडार के रखरखाव लेखा संबंधी कार्य एवं कम्प्यूटर कार्य में दक्षता रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी । **(मेट्रन का पद महिला छात्रावास के लिए है)**
06	कुशल सहायक (विद्युतकार)	मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से इलेक्ट्रिशियन/वायरमेन ट्रेड में सक्षमता प्रमाण – पत्र (अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी)
07	कुशल परिचारक (सर्वेयर/मेशन)	मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से सर्वेयर/मेशन ट्रेड में सक्षमता प्रमाण – पत्र (अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी)
	कुशल परिचारक (कारपेटर)	मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से कारपेंटर ट्रेड में सक्षमता प्रमाण – पत्र (अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी)
	कुशल परिचारक (विद्युतकार)	मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से इलेक्ट्रिशियन/वायरमेन ट्रेड में सक्षमता प्रमाण – पत्र (अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी)
08	मानचित्रकार (सिविल)	छ.ग. के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजी. में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि तथा तीन वर्ष का अनुभव । अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नक्शानवीसी ड्रॉफ्ट्समेंन शिप में सक्षमता प्रमाण पत्र के साथ संबंधित ट्रेड में कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव ।
09	प्लंबर फीटर	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से संबंधित ट्रेड मे सक्षमता प्रमाण पत्र तथा संबंधित ट्रेड मे एक वर्ष का अनुभव ।
10	भृत्य	आठवी कक्षा उत्तीर्ण ।

1. निर्धारित आयु सीमा :–

(क) दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, तथा अधिकतम 35 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। शासन द्वारा आयु सीमा में छुट संबंधी आदेश जारी होता है तो शासन द्वारा नियत अवधि तक लागू होगा। किन्तु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ख) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम–4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जन जाति, का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) उन अभ्यर्थियों को जो छत्तीसगढ सरकार के कर्मचारी हैं, या कर्मचारी रह चुके हों उनकी उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जावेगी –

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो छ.ग. का स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) अस्थाई रूप से पद धारण करने वाले तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। यही छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी स्वीकार्य होगी।

(तीन) जो उम्मीदवार छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की अवधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– शब्द " छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी " से तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह तक निरंतर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय के अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अथवा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारीयों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी जो **"भूतपूर्व सैनिक"** हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः–शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्गो में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर सेवा करता रहा हो तथा जिनकों किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशें के फलस्वरूप अथवा कर्मचारीयों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारीयों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो –

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन सेवा से मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे दूसरी बार भर्ती किया गया हो, और जिन्हें –

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भर्ती संबंधी भार्ते पूर्ण हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो ।

(तीन) मद्रास सिविल इकाई यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी,

(चार) ऐसे अधिकारी सैनिक तथा असैनिक जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं, जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवा मुक्त किये गये हों।

(पांच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों के विरूद्ध पर छः माह से अधिक समय पर निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हों।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हैं, वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नही रहे ।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ङ) विधवा निराश्रित तथा तलाक शुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पॉच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) "विक्रम/शहीद राजीव पाण्डे/गुण्डाधर पुरस्कार धारक" अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ राज्य के निगम/मंडलों के कर्मचारी है, उच्चतर आयु–सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों, होम गार्ड तथा होम गार्ड के नान–कमीशन्ड अधिकारीयों के मामले में उनके द्वारा की गयी सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुये शिथिलनीय की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों, होम गार्ड तथा होम गार्ड के नान–कमीशन्ड अधिकारीयों के मामले में उनके द्वारा की गयी सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुये शिथिलनीय की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।

टिप्पणी–(1) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खण्ड **(घ)** के उपखंण्ड (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाये गये है, नियुक्ति के पात्र नही होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते है, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की गई हो तो वे पात्र बने रहेंगें।

टिप्पणी–(2) किसी भी अन्य मामले में यह आयु सीमायें शिथिलनीय नही की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थी को चयन के लिये उपसंजात होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ट) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश एवं निर्देश लागू रहेंगें।

2–नियम व शर्तें :–

1. आवेदक **छत्तीसगढ़ का मूल निवासी** होना अनिवार्य है।
2. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के **समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना** अनिवार्य होगा। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में अभ्यर्थी के द्वारा **जन्मतिथि, वर्ग, विषय ,दिव्यांगता आदि में परिवर्तन स्वीकार्य नही होगा।**
3. आवेदन पत्र में आवेदक का एक पासपोर्ट साइज का **नवीनतम रंगीन एवं स्पष्ट** फोटो चस्पा करें एवं फोटो को **राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित** करना अनिवार्य होगा।
4. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन के साथ **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । **अस्थायी जाति प्रमाण पत्र स्वीकार्य नही होगा । केवल जाति सत्यापन प्रमाण पत्र** (जिसके साथ स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न नही हैं) स्वीकार्य नही होगा ।
5. **कार्य अनुभव प्रमाण** पत्र–कार्य अनुभव के लिये समकक्ष शाखा/ट्रेड से संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/ मण्डल संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा । **किसी भी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के समान्तर समयावधि में लिया गया कार्य अनुभव/पार्ट टाइम कार्य अनुभव स्वीकार्य नही होगा ।**
6. निजी संस्थाएं जो शासन से या शासकीय प्राधिकृत संस्था में पंजीकृत हो के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे।
7. **निजी संस्थानों का पंजीयन क्रमांक** होना अनिवार्य हैं, तथा पंजीयन संबंधी अभिलेख की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें, इसके अभाव में निजी संस्थानों का कार्य अनुभव स्वीकार्य नही होगा । पंजीयन संबंधी अभिलेख में संस्थान के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है ।
8. दिव्यांग अभ्यर्थी को **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता** प्रमाण पत्र **निर्धारित प्रारूप** में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल सेवाओं में कार्यरत कर्मचारीयों के लिये उनका आवेदन पत्र **नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत** किया जाना अनिवार्य है, जिसके अभाव में आवेदन स्वीकार्य नही होगा ।
10. उम्मीदवार स्वयं का **वर्तमान पूर्ण डाक पता** अंकित किया हुआ एवं ` **50/– (पचास रूपये) की डाक टिकिट** चस्पा किया गया 01 लिफाफा (10"X4") अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
11. **उपरोक्त बिन्दु (1) से (11) तक अभिलेखों/संलग्नकों के <u>अभाव/त्रुटिपूर्ण</u> होने पर आवेदन अस्वीकार्य होगा ।**
12. आवेदक यदि **एक से अधिक पदों के लिये** आवेदन करना चाहता हो, तो उसके लिये **पृथक–पृथक आवेदन पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन के साथ **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में** प्रस्तुत नहीं करने पर या अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन को अनारक्षित श्रेणी मे स्वीकार्य किया जावेगा ।

14. आवेदन के **लिफाफे के ऊपर** स्पष्ट **अक्षरों में आवेदित पद का नाम एवं क्रमांक स्पष्ट अंकित** होना आवश्यक है।

15. पदों की संभावित रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

16. **अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न न करने अथवा छायाप्रति स्वयं प्रमाणित न होने पर आवेदन अस्वीकार्य होंगे** तथा इस संबंध में उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

17. पात्रता के लिये अन्य नियम एवं शर्ते छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होंगी।

18. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

19. कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और कोई भी महिला उम्मीदवार, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा । ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण हैं, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है ।

20. आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं साथ ही नियमानुसार आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

21. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में **दिनांक 11.02.2019 तक या इसके पूर्व कार्यालयीन समय में** कार्यालय, शासकीय पॉलीटेक्निक बेरला मेंटर संस्था उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेकनिक दुर्ग,जी.ई.रोड दुर्ग (छ.ग.)–491001 को **केवल स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से ही प्राप्त किया जावेगा ।** व्यक्तिगत रुप से/कुरियर सेवा से प्रेषित आवेदन संस्था में स्वीकार नहीं किया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण की सुनवाई दुर्ग न्यायालय के परिधि में होगा।

23. किसी भी पद हेतु चयन प्रक्रिया किसी भी समय नियोक्ता द्वारा स्थगित या निरस्त की जा सकती हैं एवं चयन के संबंध में **नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी** हो।

3–चयन प्रक्रिया :–

क.	कर्मचारी श्रेणी	नियुक्ति प्रकिया	अभियुक्ति
1	तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय)	प्रारंभिक अर्हकारी चयन परीक्षा 50 अंक	कौशल परीक्षा हेतु अर्हता (प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा के 50 अंकों में सामान्य/अपिव वर्ग हेतु 30 अंक एवं अजा/अजजा हेतु 25 अंक अर्जित करना अनिवार्य है अन्यथा परीक्षार्थी आगे की चयन प्रकिया के लिए अपात्र माना जायेगा।)
		1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का 60 प्रतिशत	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंकों का 60 प्रतिशत
		2. कौशल परीक्षा– 35 अंक	कौशल परीक्षा के 35 अंक में सामान्य/अ.पि.व. हेतु 20 अंक एवं अजा/अ.ज.जा हेतु 15 अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा।
		3. कार्य अनुभव–05 अंक	प्रतिवर्ष 2 अंक अधिकतम 05 अंक
2.	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	प्रारंभिक अर्हकारी चयन परीक्षा 50 अंक	कौशल परीक्षा हेतु अर्हता (प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा के 50 अंकों में सामान्य/अपिव वर्ग हेतु 30 अंक एवं अजा/अजजा हेतु 25 अंक अर्जित करना अनिवार्य है अन्यथा परीक्षार्थी आगे की चयन प्रकिया के लिए अपात्र माना जायेगा।)
		1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का 60 प्रतिशत	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंकों का 60 प्रतिशत
		2. कौशल परीक्षा– 35 अंक	कौशल परीक्षा के 35 अंक में सामान्य/अ.पि.व. हेतु 20 अंक एवं अजा/अ.ज.जा हेतु 15 अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा।
		3. कार्य अनुभव–05 अंक	प्रतिवर्ष 2 अंक अधिकतम 05 अंक
3.	चतुर्थ श्रेणी	चयन परीक्षा 40 अंक	सामान्य ज्ञान, कार्यालयीन कार्य संबंधित प्रश्न

तृतीय श्रेणी की चयन प्रक्रिया:

1. नियत तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी कमेटी द्वारा जांच कर पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची सूचना पटल में चस्पा एवं वेबसाई– www.polydurg.ac.in में Upload किया जायेगा तथा निर्धारित अवधि तक दावा–आपत्ति मांगी जायेगी जिसका निराकरण कर पात्र अभियर्थियों की अंतिम सूची तैयार की जायेगी जो प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। जिसका अवलोकन अभ्यर्थी स्वयं सूचना पटल एवं वेबसाई– www.polydurg.ac.in में कर सकते हैं। इसकी सूचना डाक द्वारा अलग से नहीं दी जायेगी।
2. संबंधित पदों पर अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषय/शाखा में होना अनिवार्य है।
3. चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा तृतीय श्रेणी अलिपिक एवं लिपिकीय वर्गीय भर्ती नियम–2005 के अनुसार होगी।
4. संबंधित पदों पर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की विषय/शाखा के अनुरूप कौशल परीक्षा ली जावेगी। **कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा** । कौशल परीक्षा के 35 अंक में सामान्य/अ.पि.व. हेतु 20 अंक एवं अजा/अ.ज.जा हेतु 15 अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा।
5. बिंदु कमांक 4 के अनुसरण उपरांत मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा–

   अर्हकारी शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत के 60 प्रतिशत का तुल्य अंक $\frac{Obtained\ marks}{Total\ marks} x\ 60$ + कौशल परीक्षा के प्राप्तांक(अधिकतम 35) + अनुभव के अंक(अधिकतम 05) ।

   उदाहरण– यदि किसी व्यक्ति के शैक्षणिक अर्हता में *Obtained marks* 800 है एवं *Total marks 1000* है, तो अर्हकारी शैक्षणिक अर्हता में तुल्य अंक उक्त समीकरण के अनुसार $\frac{800}{1000} X\ 60 = 48$ अंक होंगे।
6. कार्य अनुभव की गणना के लिये **सेवा के पूर्ण किये गये प्रत्येक 01 वर्ष के लिये 02 अंक निर्धारित हैं** एवं अधिकतम 05 अंक होंगें । **आंशिक कार्य अनुभव जैसे 01 से वर्ष कम के लिये कोई भी अंक प्रदाय नही** किये जायेगे।

चतुर्थ श्रेणी की चयन प्रक्रिया:

1. नियत तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी कमेटी द्वारा जांच कर पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची सूचना पटल में चस्पा एवं वेबसाई– www.polydurg.ac.in में Upload किया जायेगा तथा निर्धारित अवधि तक दावा–आपत्ति मांगी जायेगी जिसका निराकरण कर पात्र अभियर्थियों की अंतिम सूची तैयार की जायेगी जो **चयन** परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। जिसका अवलोकन अभ्यर्थी स्वयं सूचना पटल एवं **वेबसाइट** www.polydurg.ac.in में कर सकते हैं। इसकी सूचना डाक द्वारा अलग से नहीं दी जायेगी।
2. संबंधित पदों पर अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषय/शाखा में होना अनिवार्य है।
3. चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा चतुर्थ श्रेणी भर्ती नियम–2007 के अनुसार होगी।
4. **चयन** परीक्षा उपरांत मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा–

   न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत के 60 प्रतिशत का तुल्य अंक $\frac{Obtained\ marks}{Total\ marks} x\ 60$ + **चयन** परीक्षा के **कुल प्राप्तांक (अधिकतम** 40)

नोट : सीधी भर्ती संबंधी आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन समय–समय पर कार्यालय सूचना पटल, समाचार पत्रों या संस्था वेबसाइट **www.polydurg.ac.in** पर **upload** किया जावेगा, अतएव अभ्यर्थी उक्त का अवलोकन करते रहें ।

प्राचार्य
शासकीय पॉलीटेकनिक बेरला
(मेंटर संस्था उ.प्र.उ.शासकीय पॉलीटेकनिक दुर्ग
जी.ई.रोड दुर्ग में पिन –491001)